

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 68 /2025 दिनांक :14.02.2025

श्रीमती पूर्णिमा गौड़ (RJ00420), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, राजसमन्द को दिनांक 03.03.2025 से 17.03.2025 तक 15 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 02.03.2025 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती गौड़ की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, राजसमन्द के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से
14/02/25
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/52/2002/ 1323

दिनांक :14.02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द।
3. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, राजसमन्द को उनके पत्रांक 724 दिनांक 12.02.2025 के सन्दर्भ में।
4. श्रीमती पूर्णिमा गौड़ (RJ00420), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, राजसमन्द।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द।

पु.गु.अ.सं.
14/02/25
सहायक रजिस्ट्रार